M.S.A. Ahuz

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 33/97
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 15, गुरूवार, शाके 1920— अगस्त 6, 1998
Sravana 15, Thursday, Saka 1920 —August 6, 1998

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)
सामान्य कानूनी नियम ।

कार्मिक (क–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 13, 1998

जी. एस. आर. 44.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए इससे द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998

भाग-1-सामान्य

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 है ।

(2.) ये राजस्थान राज–पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे ।

2. परिभाषाऐं.-जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :-

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान अभिप्रेत है और इसमें सेवा में के किसी पद के संबंध में ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित है, जिसे सरकार द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया जावे;

(ख) ''बोर्ड'' से नियम 32 में निर्दिष्ट चयन बोर्ड (या बोर्ड्स) अभिप्रेत है ।

(ग) ''सर्किल'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है कारागारों/उप-कारागारों की यह संख्या या ग्रुप जो खण्ड मुख्यालय पर के उप महानिरीक्षक, कारागार या अधीक्षक कारागार ग्रेड-प्रथम के प्रभार के अधीन रखे गये हैं :-

(घ) ''आयोग'' से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) ''सीधी भर्ती'' से इन नियमों के भाग-IV में विहित प्रक्रिया के अ सार की गई भर्ती अभिप्रेत है;

(च) ''सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(छ) ''महानिरीक्षक कारागार'' से महानिदेशक/अपर महानिदेशक/निदेश एंव महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जब कभी भी वे सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें, और जिनमें महानिरीक्षक कारागार की शक्तियां तथा कृत्य निहि हों अन्यथा महानिरीक्षक कारागार राजस्थान अभिप्रेत है;

(ज) ''सेवा का सदस्य'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन नियमों के निय 48 द्वारा अतिष्ठित नियमों के उपबन्धों के अधीन सेवा में से किसी प पर अधिष्ठायी रू प से नियुक्त किया गया हो, और इसमें परिवीक्षा पर रख गया व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(झ) ''अनुसूची'' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) ''सेवा'' से राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;

(ट) ''सेवा'' या ''अनुभव'' जहां कहीं भी एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर उस व्यक्ति के मामले में जो उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हों किन्तु कोई निम्नतर पद धारण कर रहा हो, पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में इन नियमों में विहित हो तो इसमें वह कालावधि सम्मिलित होगी जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर का किया हो;

<u>टिप्पण</u>:- सेवा के दौरान ऐसी अनुपस्थिति, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन ''ड्यूटी'' के रूप में मानी जाती है, उदारणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, भी पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी ।

(ठ) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ड) ''अधिष्ठायी नियुक्ति'' से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रिति से संम्यक चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन के रूप में की गई ऐसी नियुक्ति भी सम्मिलित है जिस पर परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाना हो ।

टिप्पण:- इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के अन्तर्गत, अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति को छोड़कर, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गई भर्ती या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं नियमों व उपबंधों के अनुसार की गई भर्ती आयेगी ।

(ढ) ''वर्ष'' से, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

3. निर्वचन:-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम, संख्या 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

भाग-।।-संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या:-(1) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में सम्मिलित पदों का स्वरूप वह होगा जो अनुसूची -। के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट हो ।

(2) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या वह होगी जो सरकार समय-समय पर अवधारित करे :

परन्तु यह कि-

(क) सरकार आवश्यक प्रतीत होने पर, कोई भी स्थाई अस्थाई पद पर समय-समय पर सृजित कर सकेगी और उसी रीति से ऐसे किसी पद को समाप्त कर सकेगी तथा किसी व्यक्ति को इस आधार पर कोई प्रतिकर पाने का हक नहीं होगा ।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर खाली रख सकेगा, या प्रास्थगित रख सकेगा, या समाप्त कर सकेगा या व्ययगत होने पर दे सकेगा तथी किसी व्यक्ति को इस आधार पर कोई प्रतिकर पाने का हक नहीं होगा ।

5. सेवा का गठन सेवा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट पदों को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति;

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति; और

(ग) नियम 38 के अधीन नियुक्ति किये गये व्यक्तियों को छोड़कर इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति ।

भाग-।।।-भर्ती

6. भर्ती की रीतियाँ:-(1) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में के पदों पर भर्ती अनुसूची -। के स्तम्भ 3 में उपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित रीतियों से की जायेंगी:-

(क) इन नियमों के भाग IV के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और

(ख) इन नियमों के भाग V के अनुसार पदोन्नति द्वारा ।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती ऐसी रीति से की जायेगी कि प्रत्येक रीति द्वारा सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों का प्रतिशत, किसी भी समय, नियमों/अनुसूची में अधिकथित, समय-समय पर प्रत्येक प्रवर्ग के लिए स्वीकृत कुल वर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक न हो ।

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का आयोग से परामर्श करके जहां ऐसे परामर्श करना आवश्यक हो, यह समाधान हो जाए कि किसी वर्ष विशेष में भर्ती की किसी भी एक रीति से नियुक्ति की जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो नियुक्ति, विहित अनुपात को शिथिल करते हुए दूसरी रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जैसा कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट है ।

7. आपातकालके दौरान थल सेना/वायु सेना/नौ सेना में पद ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की भर्ती आदि:-इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आपातकाल के दौरान थल सेना/वायु सेना/नौ सेना में पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति की भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि ये भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किये जायें ।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण:-(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार के आरक्षण संबंधी उन आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त हों, चाहे सीधी हो और पदोन्नति द्वारा ।

(2) पदोन्नत के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियों के भरने के लिए उन पात्र अभ्यार्थियों के संबंध में जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, दूसरे अभ्यार्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान देते हुए, उसी क्रम के अनुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सीधी भर्ती के लिए बोर्ड या यथास्थिति आयोग द्वारा और पदोन्नति के मामले में बोर्ड द्वारा तैयार की गई सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए विहित अलग-अलग रोस्टरों के अनुसार की जायेगी। यदि किसी वर्ष विशेष में अनुसूचित जातियों और यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य परिक्रिया के अनुसार भर लिया जायेगा और पश्चात्वर्ती वर्ष में उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित की जायेगी। ऐसी बिना भरी गई रिक्तियों को, भर्ती के पश्चात्वर्ती कुल तीन भर्ती वर्षो तक अग्रनीत किया जायेगा और इसके पश्चात् ऐसा आरक्षण समाप्त हो जायेगा।

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पदों या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/ग्रुप की रिक्तियों को, जिन पर इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नतियां की जाती हैं, अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

9. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण:-** अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार के आरक्षण संबंधी उन आदेशों के अनुसार होगा जो सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त हों। यदि किसी वर्ग विशेष में अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य परिक्रिया के अनुसार भर लिया जायेगा।

10. **महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण:-** महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गानुसार 20% होगा। यदि किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर लिया जायेगा और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष में अग्रनीत नहीं की जायेगी तथा आरक्षण क्षेत्रीज आरक्षण के रूप में माना जायेगा, अर्थात महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में अनुपात समायोजित किया जायेगा जिससे वह महिला अभ्यर्थी संबद्ध है।

11. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के लिए चिन्हित आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर उस वर्ष की कुल रिक्तियों का 2 % होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र तथा उपयुक्त खिलाड़ियों के उपलब्ध न होने की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा जिससे खिलाड़ी आबद्ध हैं।

स्पष्टीकरण:- ''उत्कृष्ट खिलाड़ियों'' से अभिप्रेत हैं, और उसमें सम्मिलित हैं राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय औलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या बैडमिन्टन टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे संबंधित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, व्यक्तिगत: या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया गया हो:-

क्र.स.	सेवा का वर्ग	विवरण
1.	अधिनस्थ	एशियाई खेलों, चैम्पयनशिपों राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों, या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) ने प्रथम द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

12. राष्ट्रीयता:- सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह:-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ड़) भारतीय उद्‌भव का कोई व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से, पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा, तथा तन्जानिया गणतन्त्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीवार) जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथ्योपिया से आया हो।

(1) (ख), (ग), (घ) और (ड़) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र दे दिया हो।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकेगा तथा उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिये जाने के अध्यधीन अन्तिम रूप से नियुक्ति भी किया जा सकेगा।

13. अन्य देशों से भारत में आए हुए व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें:- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के मामले में जो अन्य देशों से भारत में अस्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, राष्ट्रीयता, आयु सीमा और फीस या अन्य रियायतों के बारे में सेवा में भर्ती की पात्रता से संबंधित उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

14. रिक्तियों का अवधारण: (1) (क) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष पहली अप्रेल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(ख) जहाँ कोई पद नियमों या अनुसूची-1 में विहित किसी एक रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उसी रीति से भरी जायेंगी।

(ग) जहां पर कोई पद नियमों या अनुसूची-I में यथा विहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले से भरे गये पदों की संपूर्ण संख्या के लिए विहित अनुपात को बनाए रखते हुए ऐसी प्रत्येक रीति के लिए किया जायेगा। यदि उपर्युक्त विहित तरीके से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग रह जाये, तो इसे पदोन्नति कोटे को अग्रता देते हुए निरन्तर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे में प्रभावित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा बशर्ते कि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गई हों और उस वर्ष में जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था नहीं भरी गई हों।

15. आयु:- अनुसूची-I में प्रगणित पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख से ठीक बाद आने वाले जनवरी माह के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए किन्तु 24 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। परन्तु यह कि-

कार्मिक अधिसूचना 25/6/05 से अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष की गई

(1) महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी;

(2) उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था

(3) उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दोषसिद्ध से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था उपरिवर्णित आयु सीमा में उक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी;

(4) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों को आयु सीमा में ही समझा जायेगा, यदि वे प्रारम्भिक रूप से नियुक्ति किए जाने के समय आयु सीमा में थे चाहे उन्होंने आयोग या यथास्थिति, बोर्ड के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो, उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेंगे जैसे वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इसी प्रकार पात्र थे।

(5) कैडेट प्रशिक्षको, पूर्व सैनिकों और पूर्व केन्द्रीय पुलिस संगठन (एक्स. ए. पी. ओ.) कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(6) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उन व्यक्तियों के मामले में, जो राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी रूप से सेवा कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार द्वारा भरे जाने वाले पद पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(7) उन अभ्यर्थियों के मामले में जिनके लिए कार्य अनुभव एक पूर्व शर्त है उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में अनुसूची-। में विहित कार्य-अनुभव के न्यूनतम वर्षों के बराबर की कालावधि की छूट दी जायेगी।

(8) विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और विवाह विच्छिन्न महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(9) अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

अधिसूचना दि. 25.5.2000 से OBC अभ्यर्थी को आयु सीमा में दो वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष छूट दी जायेगी। लेखाविज्ञ 6/2000 पेज 288-289

16. **शैक्षिक और तकनीकी अर्हताएं और अनुभव:-** अनुसूची-I में प्रगणित पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी के पास यथा अपेक्षित अनुभव के साथ-साथ निम्नलिखित अर्हताएं भी होंगी:-

(1) अनुसूची-I के स्तम्भ 4 में दी गई अर्हताएँ, और

(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

17. **चरित्र:-** सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पाई थी, के प्राचार्य या शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए तथा साथ ही उसे ऐसे ही दो प्रमाण-पत्र जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख के छः मास से अधिक की कालावधि के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से संबंधित न हो और न ही उसके रिश्तेदार ही हों।

टिप्पण:- (1) न्यायालय द्वारा की गई दोपसिद्धि मात्र को सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र न दिये जाने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। दोपसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उसमें नैतिक अधमता संबंधी कोी बात अंतर्ग्रस्त नहीं है या उसका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आंदोलनों से नहीं है जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो केवल दोपसिद्धि को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और बाद के सदाचरण से अपने आपको पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजनार्थ इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोप ठहराए जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधता की कोई बात अंतर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा यदि वे पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक की या यदि किसी जिला विशेष में ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख गृह नहीं है, तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की इस आशय की एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्गस्त है, "पश्चात्वर्ती देखरेख गृह" के अधीक्षक का या जहां ऐसे पश्चात्वर्ती देखरेख गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जावेगी कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्वर्ती देखरेख गृह में अपने बाद के सदाचरण से यह साबित कर दिया है कि वे अब पूर्णत: सुधर गए हैं, अत: वे नियोजन के लिए उपयुक्त हैं।

18. शारीरिक योग्यता:-(1) सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा मानसिक या शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जो उसके सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाए तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का या, वार्डरों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे अभ्यर्थी को उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा जो राज्य के कार्यकलापों के संबंध में पहले से ही सेवारत हैं और पूर्व नियुक्ति के समय उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही की जा चुकी है और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वाश्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से एक समान हैं आयु के कारण उसकी तत्प्रयोजनार्थ कार्यदक्षता में कोई कमी नहीं आई है।

(2) सहायक जेलर और वार्डर के पदों के लिए कोई अभ्यर्थी जिसकी ऊंचाई 168 से.मी. से कम हो और जिसका वक्ष बिना फुलाए 81 से. मी. से कम हो और फुलाकर 86 से. मी.. से कम हो, शारीरिक रूप से योग्य नहीं समझा जायेगा।

परन्तु यह कि:-

(i) गढ़वाली तथा गोरखा अभ्यर्थियों और पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों की ऊंचाई 158 सें. मी. से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई और वजन क्रमश: 152 से. मी. और 47.5 कि. ग्रा. से कम नहीं होना चाहिए।

(iii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी, जिनकी ऊंचाई और वक्ष विहित माप से 5 से. मी. तक कम हो, शारीरिक रूप से योग्य समझे जायेंगे।

(iv) अभ्यर्थी की दृष्टि की निम्नलिखित मानक के आधार पर जांच की जावेगी :

दृक शक्ति	बिना चश्मे के		चश्में सहित	
	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराव दृष्टि
(क) सहायक जेलरों और वार्डरों के लिए:				
दूर की	6/6	6/60	6/6	6/13
निकट की	जे 5	जे 5	जे 1	जे 1
अन्यों के लिए :				
दूर की	6/9	6/18	6/9	6/9
निकट की	जे 1	जे 3	जे 1	जे 2

टिप्पण:-उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों प्रवर्गों के लिए-

(i) निकट दृष्टि 5 डी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) मौलिक रंगों में विभेद न कर पाना और/या रात्रि का अंधापन (रतोंदी) यदि हो तो अनर्हता समझी जावेगी।

(iii) किसी भी रूप में स्पष्ट भेंगापन होने से अभ्यर्थी अनर्ह हो जायेगा।

19. **अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग :-** ऐसा अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी आयोग द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेजों को जिन्हें बिगाड़ दिया गया है, प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्योरे प्रस्तुत करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में नावाजिब साधनों का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग का प्रयास करने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अनियमित या अनुचित साधन को काम में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका है तो फौजदारी मुकदमा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसे-

(क) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग द्वारा,

(ख) सरकार के अधीन नियोजन के लिए सरकार द्वारा, स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

20. **संयायना:-** भर्ती के लिए नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर स [illegible]गा।

भाग-(IV)-सीधी भर्ती की प्रक्रिया

21. आवेदन आमंत्रित करना:- (1) अनुसूची-I के प्रवर्ग I में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग द्वारा रिक्तियों को राज-पत्र में अथवा ऐसी किसी अन्य रीति से, जैसा आयोग उचित समझे विज्ञापित करके आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) अनुसूची-I के प्रवर्ग II में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाये, आमंत्रित किये जायेंगे,

(3) परन्तु यह कि इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय आयोग/बोर्ड, यदि उसे चयन से पूर्व विज्ञापित रिक्तियों के 50% से अनधिक व्यक्तियों की अतिरिक्त आवश्यकता, की सूचना प्राप्त हो जाये तो ऐसी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को चयन कर सकेगा।

22. आवेदन का प्रारूप :- आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में किया जायेगा जो यदि अपेक्षित हो, ऐसे अधिकारी, के कार्यालय से, जैसा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकथित किया जाये या आयोग के सचिव से ऐसी फीस, यदि कोई हो, देकर जो नियुक्ति प्राधिकारी/यथास्थिति, आयोग समय-समय पर नियत करें, प्राप्त किया जा सकेगा।

23. परीक्षा या आवेदन फीस :- (1) सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों, को नियुक्ति प्राधिकारी या यथास्थिति आयोग द्वारा नियत परीक्षा या यथास्थिति, आवेदन फीस का ऐसी रीति से संदाय करना होगा यो उसके/उनके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(2) परीक्षा फीस के प्रतिदाय का कोई दावा, ऐसी स्थिति को छोड़कर जबकि विज्ञापन अध्यपेक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा अध्यपेक्षा वापस लेने के कारण या अन्य किसी कारण से आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया हो, ग्रहण नहीं किया जायेगा और ऐसे मामले में राशि का प्रतिदाय कर दिया जायेगा। परन्तु आयोग द्वारा, अभ्यर्थी को प्रतिदाय पत्र जारी होने की तारखि से एक मास की कालावधि के पश्चात् फीस के प्रतिदाय के किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जायेगा।

संशोधित कार्मिक विभाग F.2(3)DOP/A-II/98 दि0 21.7.11

24. परीक्षा में प्रवेश:- (1) आवेदन जो अपूर्ण पाए गये हों और जिन्हें आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नहीं भरा गया हो उनके द्वारा प्रारम्भिक स्टेज पर ही अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। आयोग, शेष अभ्यर्थियों में से उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनन्तिम रूप से अनुज्ञा दे सकेगा जिन्हें वह प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी करना उपयुक्त समझे। किसी भी अभ्यर्थी को तब तक परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास

आयोग द्वारा उस परीक्षा में प्रवेश के लिए दिया गया प्रमाणपत्र न हो। परीक्षा में बैठने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह इन नियमों में उपबंधित आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव आदि, यदि कोई हों, संबंधी शर्तें पूरी करता है। परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दे देने मात्र से ही, अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा करने का हक प्राप्त नहीं हो जाता। आयोग, बाद में केवल उन अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली हो, और केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही मौखिक परीक्षा, यदि कोई हो, के लिए बुलाएगा।

(2) अभ्यर्थी का परीक्षा में प्रवेश उसी पात्रता और पारिणामिक रूप से मौखिक परीक्षा यदि कोई हो, में प्रवेश के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

25. आवेदनों की संवीक्षा :- नियुक्ति प्राधिकारी या कोई ऐसा अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकथित किया जाये, अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित उतने अभ्यर्थियों से शारारिक दत्रता पीरक्षण या यथास्थिति साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा जितने उसे वांछनीय प्रतीत हों। Deleted

26. प्रतियोगी परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी :- अनुसूची-I के प्रवर्ग I में के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा अनुसूची-II में अधिकथित परीक्षा की स्कीम के अनुसार संचालित की जायेगी।

27. लिखित परीक्षा में अर्हक अंक :- उन अभ्यर्थियों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 36% अंक और कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करते हैं, यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त कर लिये हैं।

28. शारीरिक दक्षता परीक्षण :- (1) जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्थायी आदेश के माध्यम से विहित किया जाये एक शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा।

(2) उन समस्त अभ्यर्थियों से, जो नियम 27 के अधीन सफल घोषित किये गये हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए एक शारीरिक स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें, नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नामनिर्देशिति जो अधीक्षक ग्रेड-I की रैंक से नीचे का नहीं, अध्यक्ष के रूप में एक अधीक्षक ग्रेड-II और एक पुलिस का निरीक्षक या नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस का एक निरीक्षक या राजस्थान सशस्त्र पुलिस (कान्सटेबुलरी) का कम्पनी कमाण्डर, सदस्य के रूप में होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी और उन अभ्यर्थियों के बारे में जो उसमें 50% अंक प्राप्त कर लेते हैं, यह मानलिया जायेगा कि शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर ली है। शारीरिक स्क्रीनिंग समिति, नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम

से आयोग को उन अभ्यर्थियों की सूची अग्रेषित करेगी जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह हो गए हैं।

(3) उन अभ्यर्थियों के मामले में जो पूर्व सैनिकों या केन्द्रीय पुलिस संगठन के पूर्व कार्मिकों के रूप में भर्ती किये गये हैं, कोई शारीरिक दक्षता परीक्षण नहीं होगा।

(4) अनुसूची-I के प्रवर्ग II में आने वाले पदों के संबंध में उन समस्त अभ्यर्थियों को, जिनके आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाये जायें:

(i) वार्डरों के मामले में, शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के लिए शारीरिक स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुज्ञा दी जायेगी। परीक्षण 100 अंकों का होगा और केवल उन अभ्यर्थियों को जो 50 या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के अनुज्ञात किया जायेगा जो 50 अंकों का होगा।

(ii) उन अन्य पदों के मामले में जिनके लिए सीधी भर्ती विहित है, बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुज्ञा दी जायेगी।

29. व्यक्तित्व और मौखिक परीक्षा :- (1) वे अभ्यर्थी, जो नियम, 27 के अधीन लिखित परीक्षा में और नियम 28 के उपनियम (2) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल घोषित किये गये हों, प्रवीणता परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे परन्तु प्रवीणता परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या (प्रवर्गानुसार) के तीन गुने तक निर्बन्धित होगी।

(2) अभ्यर्थियों की प्रवीणता परीक्षा और साक्षात्कार 50 अंकों का होगा।

(3) आयोग अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा। आयोग उसके द्वारा साक्षात्कार किये गये प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके चरित्र, व्यक्तित्व, संबोधन, चातुर्य पद के लिए प्रवीणता निर्णय, नेतृत्व, शारीरिक गठन और राजस्थानी संस्कृति के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अंक प्रदान करेगा। प्रदत्त अंकों को ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जायेगा।

30. आयोग/बोर्ड की सिफारिशें :- आयोग/बोर्ड, ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें योग्यताक्रम में एक सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। आयोग/बोर्ड ऐसे अभ्यर्थियों की सिफारिश नहीं करेगा जिन्होंने साक्षात्कार में 36% और कुल मिलाकर 45% से कम अंक प्राप्त किये हों:

परन्तु यह कि आयोग/बोर्ड अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उन अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जो ऊपर यथा विहित मौखिक परीक्षा

में और कुल मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहे हैं किन्तु प्रशासन में दक्षता को बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग/बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाये गये हों, व शर्तें कि ऐसे अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में 30% अंक और कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त किए हों:

परन्तु यह और कि आयोग/बोर्ड, विज्ञापित रिक्तियों के 50% की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग/बोर्ड, अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी को, उस तारीख से छह मास के भीतर जिसको आयोग/बोर्ड द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को मूल सूची अग्रेपित की गई है, योग्यता क्रम में ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश करेगा।

31. अंकों का पुनर्योग:- (1) आयोग, ऐसी कालावधि के दौरान, जो आयोग द्वारा अपने स्वविवेक से विनिश्चित की जाये, ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर जो आयोग द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का पुनर्योग करने का आदेश दे सकेगा किन्तु उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की पुनः जांच नहीं की जायेगी।

(2) आयोग उप-नियम (1) के उपबन्धों के अनुसरण में ऐसी गलतियों को, जिनका अंकों के पुनर्योग पर पता चले, सुधारने के लिए कदम उठा सकेगा।

(3) ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप यदि आयोग को यह पता चले कि अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र हो गया है तो इस तथ्य की सूचना तुरन्त और किसी भी दशा में परिणाम घोषित होने के 40 दिन से पूर्व सरकार को दी जायेगी और नियम 30 के अधीन की गई आयोग की सिफारिश उस सीमा तक उपान्तरित समझी जायेगी।

32. चयन बोर्ड:- अनुसूची-I के प्रवर्ग II के अधीन आने वाले पदों हेतु जिनके लिए सीधी भर्ती विहित हो या इन नियमों के नियम 36 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए चयन बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित किया जायेगा। जिसमें सम्मिलित व्यक्ति और उसके गठन की रीति निम्नलिखित होगी:-

(क)	महानिरीक्षक, कारागार या उप महानिरीक्षक, कारागार	-	अध्यक्ष
(ख)	एक अधीक्षक जेल ग्रेड-I या कारागार विभाग का कोई समतुल्य अधिकारी	-	सदस्य
(ग)	एक अधीक्षक कारागार ग्रेड II	-	सदस्य सचिव

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो-

(1) विभिन्न स्थानों पर एक साथ कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक ऐसे बोर्ड गठित कर सकेगा;

(2) बोर्ड को पुनर्गठित कर सकेगा, या इसके किसी सदस्य (अध्यक्ष सहित) को चयन के दौरान भी परिवर्तित (बदल) सकेगा;

(3) //स्वयं भी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा।

33. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं:- (1) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा सिवाय उस दशा के जब कि सरकार, अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दें।

(2) कोई महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो, जिसके पहले से जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी, सिवाय उस दशा के जब कि सरकार अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दें।

(3) कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया है;

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ "दहेज" का वही अर्थ होगा जो उसे दहेज प्रतिशेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) में दिया गया है।

34. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन:- नियम 8, 9, 10 और 11 के उपबंधों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी नियम 30 के अधीन तैयार की गई सूची में से वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों का चयन करेगा:

परन्तु यह है कि किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, समाधान न हो जाए कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग-I पदोन्नति के लिए प्रक्रिया

35. पदोन्नति के लिए पात्रता:- सेवा के सदस्य, जो अधिष्ठायी रैंक (पद) धारण कर रहे हों, अनुसूची-I के स्तम्भ 6 में यथाविहित न्यूनतम अनुभव और अर्हताएं रखने के

अध्यधीन सर्किल आधार पर हैड वार्डर के पद पर पदोन्नति के मामले में और राज्य आधार पर अन्य पदों पर पदोन्नति के मामले में पात्र होंगे:

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सेवा में के निम्नतम पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त और स्थायी न कर दिया गया हो। सेवा में प्रथम पदोन्नति के पश्चात् सेवा में, उच्चतर पदों पर पश्चात्वर्ती पदोन्नतियों के लिए कोई व्यक्ति तब पात्र होगा, जब वह ऐसे पद पर नियुक्त किया गया हो जिससे पदोन्नति इन नियमों के अधीन भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार चयन के पश्चात् की जानी हो।

स्पष्टीकरण 1: (i) किसी वर्ष में विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती पदोन्नति के लिये नियमित चयन से पूर्व कर ली गई हो तो ऐसे व्यक्तियों के मामलों में भी, जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के पात्र हैं या पात्र थे और जिन्हें प्रथमतः सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, विचार किया जायेगा।

(ii) अनुसूची-1 के स्तम्भ 5 में प्रगणित व्यक्ति, उस वर्ष के अप्रेल मास के प्रथम दिन को, जिसमें अर्हक परीक्षा हुई है, उनके द्वारा स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए, स्तंभ 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पदों पर स्तम्भ 3 में उपदर्शित सीमा तक पदोन्नति के पात्र होंगे।

(iii) अर्हक परीक्षा इन नियमों के नियम 36(2) में अधिकाधिक रीति से आयोजित की जायेगी।

स्पष्टीकरण 2:- (i) इस नियम में शब्दों "सर्किल आधार पर" और "राज्य आधार पर" से अभिप्रेत है सर्किल में या यथास्थिति संपूर्ण राज्य में के किसी प्रवर्ग विशेष के योग्यताक्रम के समस्त सदस्य अभिप्रेत हैं।

(ii) सेवा का कोई सदस्य (जिसकी वरिष्ठता सर्किल आधार पर अवधारित की जाती है) जो एक सर्किल से दूसरे में स्थानान्तरण चाहता है ऐसा स्थानान्तरण मंजूर होने पर, उस सर्किल में जहां उसका स्थानान्तरण हुआ है, अपनी वरिष्ठता खो देगा और उस सर्किल में जिसमें उसका स्थानान्तरण हुआ है, सबसे नीचे रखा जायेगा। जब कोई स्थानान्तरण प्रशासनिक आधारों पर किया गया हो तो इस प्रकार स्थानान्तररित सदस्य अपने मूल सर्किल में अपना धारणाधिकार और वरिष्ठता रखेगा।

36. चयन प्रक्रिया:-(1)(क) नियम 14 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के अवधारण के पश्चात्, इन नियमों के नियम 32 में निर्दिष्ट बोर्ड का गठन किया जायेगा:

परन्तु उप-जेलरों के जेलरों के पदों पर पदोन्नति के मामले में बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

(ख) बोर्ड सेवा में ऐसे वरिष्ठतम पात्र सदस्यों की जिन्होंने संबंधित पदवर्ग में पदोन्नति के लिए नियम 36(2) में विनिर्दिष्ट अर्हक परीक्षा भाग-1 परेड तथा अन्य बाह्य परीक्षणों में 40% अंकों और लिखित परीक्षा में 40% अंकों सहित कुल मिलाकर 45% अंकप्राप्त करके उत्तीर्ण कर ली हो, एक सही और पूर्ण सूची तैयार करेगा जिसमें रिक्तियों की संख्या के तीन गुने से अनाधिक नाम होंगे:

परन्तु कारखाना पर्यवेक्षकों, सहायक कारखाना पर्यवेक्षकों, व्यवसायिक अध्यापकों और अध्यापक ग्रेड-II के पदों पर पदोन्नति के लिए भाग-1 की कोई अर्हक परीक्षा नहीं होगी।

(ii) इन नियमों के अधीन गठित बोर्ड सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के मामलों में विचार करेगा और उनमें से उन सभी व्यक्तियों से साक्षात्कार करेगा जो स्वयं साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए हैं, और वरिष्ठता क्रम में ऐसे उपयुक्त अभ्यर्थियों के, की सूची तैयार करेगा, जिन्होंने भाग-II की अर्हक परीक्षा में 45% अंक और जहां भाग 1 की अर्हक परीक्षा भी विहित हो, वहां भाग I और II की अर्हक परीक्षा के कुल अंकों के कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किये हों, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट और नियम 14 के अधीन भरे जाने के लिए धारित ऐसे पदों की संख्या 1-1/2 गुने तक नामों की एक सूची तैयार करेगा, या यदि रिक्तियों की संख्या केवल एक है तो एक और व्यक्ति का चयन करेगा।

पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करते समय निम्नलिखित बतों का ध्यान रखा जायेगा :-

(i) यह कि उन्होंने अर्हक परीक्षा भाग-I जहां विहित हो, उत्तीर्ण कर ली है;

(ii) उनका पूर्व सेवा अभिलेख (अच्छी और बुरी प्रविष्टियां);

(iii) सत्यनिष्ठा;

(iv) बुद्धिमता, चातुर्य और कर्मठता;

(v) तकनीकी और सामान्य ज्ञान;

(vi) अनुभव और दक्षता;

(vii) व्यक्तितत्व और चरित्र;

(viii) उस पद के कर्तव्य पालन करने की शारीरिक योग्यता तथा सामर्थ्य, जिस पर पदोन्नति की जानी है, जिसमें विस्तृत दौरे करने की कुशलता भी सम्मिलित है; और

(ix) सुसंगत विधियों और पक्रियाओं का व्यवहारिक ज्ञान। (iii) नियम 36(1) (ii) के अधीन बोर्ड (बोर्डों) द्वारा तैयार की गई सूचियों में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों से विहित पदोन्नति संवर्ग (पाठ्यक्रम) पूरा रकने की अपेक्षा की जायेगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया जायेगा:

परन्तु यह कि ऐसे अब्यर्थियों को जो उनको नियंत्रण से बाहर के कारणों से, उपस्थित रहने या उसे पूरा करने में असमर्थ रहे हों उनकी वरिष्ठता की कोई हानि हुए विना पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

स्पष्टीकरण: यदि कोई ऐसा प्रस्न उत्पन्न हो कि आया कोई अभ्यर्थी अपने नियंत्रण से बाहर के किसी कारण से पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका है या उसे पूरा नहीं कर सका है, तो इस पर नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(iv) उन अभ्यर्थियों के नाम जिन्होंने पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पदोन्नति के लिए अनुमोदित सूची में वरिष्ठता क्रम में रखे जायेंगे।

उन अभ्यर्थियों को, जो पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम प्रथम प्रयास में सफलतापूर्वक पूरा करने में असफल रहे हैं, पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक और अवसर दिया जायेगा और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, अविकल बनी रहेगी।

(v) वे अभ्यर्थी, जो नाम निर्दिष्ट किए जाने पर पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम में उपस्थित होने उसे पूर्ण करने में, असफल रहते हैं या जो उपयुक्त उपनियम (iii) और (iv) में यथा उपबंधित पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में असमर्थ रखते हैं, किसी नये बोर्ड की सिफारिश के आधार के सिवाय किसी अन्य पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे।

(vi) इस प्रकार तैयार की गई अनुमोदित सूची केवल तभी प्रवृत्त होगी जब कि पूर्व अनुमोदित सूची के व्यक्ति नियुक्ति कर दिये गये हों।

(2) पदोन्नति के लिए अर्हक परीक्षा:- (1) पदोन्नति के लिए अर्हक परीक्षा अभिप्रेत हैं और इसमें सम्मिलित है-

भाग	विवरण	अधिकतन अंक
1	2	3
भाग-1	(क) लिखित परीक्षा	100
	(ख) परेड और अन्य बाह्य परीक्षाण	100

1	2	3
भाग-II	(क) साक्षात्कार	25
	(ख) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों सहित सेवा अभिलेख का परीक्षण।	

(ii) भाग-I की परीक्षा का पाठ्यक्रम और भाग-II से संबंधित सामान्य अनुदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवधारित और जारी किये जायेंगे।

(iii) नियम 32 में निर्दिष्ट बोर्ड, परीक्षा का तारीख और स्थान नियत करेंगे।

(iv) अर्हक परीक्षा पूर्ण होने पर और परिणामों को अन्तिम रूप दिये जाने पर उन अभ्यर्थियों के नाम, जो पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त पाये जाएं बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा तुरन्त घोषित किये जायेंगे और ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी को जहां तक संभव हो शीघ्र अग्रेपित की जायेगी।

(3) पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम:- (i) विभिन्न रैंकों के लिए पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम ऐसे प्रशिक्षण संस्थान पर आयोजित किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाये।

(ii) पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम ऐसी अवधि का होगा और उसका पाठ्यक्रम विवरण ऐसा होगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाये। पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम में आंतरिक और बाह्य कार्य पर सम्यक जोर दिया जायेगा।

(iii) पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम परीक्षा ऐसी समिति द्वारा आयोजित की जायेगी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जाये।

(4) पदोन्नति:- (i) सेवा में अधिष्ठायी पदोन्नतियां उस क्रमानुसार दी जायेंगी जिसमें उनके नाम अनुमोदित सूची में दिये गये हैं:

परन्तु यदि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए अर्ह है, कोई दीर्घ दण्ड जिसमें रैंक में अवनति, सेवा से पदच्युति या हटाया जाना या पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के पूर्व या पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के दौरान उसे अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जाना अन्तर्वलित है, दिया जाता है तो वह पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए या पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के शेष भाग के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि अपील या पुर्विलोकन करने पर पदोन्नति रोके जाने से भिन्न उसे दिया गया कोई दण्ड प्रत्याहृत न कर लिया जाता या दण्ड की प्रकृति को लघु दंण्ड के रूप में उपान्तरित नहीं कर दिया जाता।

(ii) इसी तरह यदि ऐसा दण्ड पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम पूरी करने या अनुमोदित सूची तैयार करने के पश्चात् दिया जाता है तो पदोन्नति उस समय तक के लिए रोक दी जायेगी जब तक कि अपील या यथास्थिति, पुनर्विलोकन में के निर्णय के परिणाम स्वरुप उसे माफी नहीं दे दी जाती या इस प्रकार दिया गया दण्ड उसके द्वारा भुगत नहीं लिया जाता।

(5) पदोन्नति छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बन्ध:- यदि कोई व्यक्ति बोर्ड की सिफारिश पर अगले उच्चतर पद पर अर्जेन्ट अस्थाई या नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हो जाने पर ऐसी नियुक्ति को छोड़ देता है तो उसकी पदोन्नति या पुन: नियुक्ति (बोर्ड की सिफारिश पर अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति या नियमित भर्ती दोनों के मामले में) के लिए एक वर्ष की कालावधि के पश्चात् ही विचार किया जायेगा।

(6) अभ्यावेदनों और निर्देशों का निपटाया जाना:- (i) यदि किसी भी समय इन नियमों के अधीन अर्हक परीक्षा या अनुमोदित सूची के तैयार करने या पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम या उसकी परीक्षा या किसी अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या चयन या संचालित की गई किसी अन्य विभागीय परीक्षा से संबंधित कोई अभ्यावेदन या निदेश, सेवा के किसी सदस्य, या किसी बोर्ड द्वारा या किसी अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किया जाता है तो इस पर नियुक्ति प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और इस प्रकार विनिश्चित किये गये बिन्दु पर सरकार को सामान्यत: कोई अभ्यावेदन या निदेश सरकार को नहीं किया जायेगा।

(ii) यदि सूचना की प्राप्ति पर या जांच के आधार पर सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी इस बात के लिए समाधान हो जाता है कि किसी बोर्ड की कार्यवाहियां इन नियमों के उपबन्धों या इन नियमों के अनुसार जारी किये गये आदेशों और अनुदेशों के अनुसार न्यायसंगत और उचित रीति से नहीं की गई है तो वह बोर्ड की कार्यवाहियों को अपास्त कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए नये बोर्ड का गठन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:- राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 में के नियम 36 के सभी निर्देशों का अर्थ नियम 36 के उपनियम 1 से 6 का के संदर्भ के रूप में लगाया जायेगा।

(7) पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए विशेष नाम निर्देशन:- जेलर तक की अगली उच्चतर रैंक के लिए किसी वर्ष विशेष में पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के 10% की सीमा तक पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए नाम निर्देशन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के उन सदस्यों के मामले में किया जा सकेगा जिन्होंने कारागार से निकल भागने से रोकने के कार्य में या कारागार प्रबंधन के अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो।

भाग–VI – नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

37. सेवा में नियुक्ति:- सेवा में पदों पर सीधी भर्ती या यथास्थिति, पदोन्नति, द्वारा नियुक्तियों, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिष्ठायी रिक्तियों होने पर नियम 34 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यता क्रम में चयनित और इन नियमों के नियम 36 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से की जायेगी।

38. अर्जेन्ट अस्थायी नियुक्ति:- (1) सेवा की ऐसी रिक्ति को जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, नियुक्ति प्राधिकारी या यथास्थिति, नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसी अधिकारी को, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो स्थानापन्न रूप में नियुक्ति करके या जहां ऐसी सीधी भर्ती के लिए इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबन्ध किया गया हो, अस्थायी रूप से नियुक्ति करके भरा जा सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी कोई नियुक्ति एक वर्ष से अधिक की कालावधि तक चालू नहीं रखी जायेगी :

परन्तु यह और कि सेवा के ऐसे किसी पद के संबंध में जिसके लिए भर्ती की उपर्युक्त दोनों रीतियां विहित हों, नियुक्ति प्राधिकारी या यथास्थिति, नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी, सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना सीधी भर्ती के कोटे के प्रति अस्थायी रिक्ति को पूर्ण कालिक नियुक्ति द्वारा तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भर सकेगा सिवाय उस दशा के जब कि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दशा में सरकार, उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तों के होते हुए भी वेतन तथा अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जो वह निर्देशित करें, रिक्तियों को अर्जेन्ट अस्थायी आधार पर भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी।

39. वरिष्ठता:- सेवा में के निम्नतम पद पर या यथास्थिति, सेवा में के प्रत्येक ग्रुप/अनुभाग में के निम्नतम पद प्रवर्गों पर नियुक्ति व्यक्तियों की वरिष्ठता उक्त पदों पर ऐसे व्यक्तियों के स्थायी करण की तारीख से अवधारित की जायेगी किन्तु सेवा में के अन्य उच्चतर पदों पर या यथास्थिति, सेवा में प्रत्येक ग्रुप/अनुभाग में के अन्य उच्चतर पद-प्रवर्गों पर पदों पर उनके नियमित चयन की तारीख से अवधारित की जायेगी :

परन्तु यह कि-

(1) यदि उसी वर्ष में, एक ही प्रवर्ग में के किसी पद पर दो या दो से अधिक व्यक्ति नियुक्त किये गये हों तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से रैंक में वरिष्ठ होगा;

(2) प्रवर्ग विशेष में के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु उन्होंने नियुक्ति के आदेश की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त कालावधि बढ़ायी नहीं गयी हो, सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 30 के अधीन बनायी गयी सूची में रखे गये हैं;

(3) किसी प्रवर्ग विशेष में पदोन्नति द्वारा किसी पद पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, उसी क्रम में रहेगी जिसमें उनके नाम नियम 36 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में रखे गये हैं ;

(4) किसी ऐसे चयन के, जो पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, परिणामस्वरुप चयनित और नियुक्त किये गये व्यक्ति उन व्यक्तियों से, जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरुप चयनित और नियुक्त किये गये हों, वरिष्ठ होंगे।

एक ही चयन के दौरान वरिष्ठता एवं योग्यता और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो ठीक नीचे के ग्रेड में उनकी है।

(5) विभिन्न ग्रुपों के अधिष्ठायी कर्मचारियों के मामलों में सेवा में के उच्चतर पदों पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ प्रारम्भिक नियुक्ति पर उनकी एकीकृत वरिष्ठता विभिन्न ग्रुपों में उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति के वर्ष के होते हुए भी संबंधित पद-प्रवर्ग में निरन्तर स्थानापन्नता की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी बशर्ते कि ऐसी स्थानापन्नता, आकस्मिक या तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति की प्रकृति की नहीं थी तथा कर्मचारी की ओर से नियुक्त के आदेश के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने में कोई चूक नहीं की गयी थी।

(6) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोई अभ्यर्थी किसी आरक्षित रिक्ति के प्रति अपने से ठीक उच्चतर पद/ग्रेड में अपने से वरिष्ठ सामान्य/अ. वि. वर्ग के उस अभ्यर्थी से पहले पदोन्नत किया जाता है जो उक्त ठीक उच्चतर पद/ग्रेड में बाद में पदोन्नत होता है, तो सामान्य/अ. पि. वर्ग का अभ्यर्थी, उक्त ठीक उच्चतर पद/ग्रेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पूर्व में पदोन्नत ऐसे अभ्यर्थी अपनी वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा।

40. परिवीक्षा की कालावधि:- (1) किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति सेव सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिव पर रखे जायेंगे और जो व्यक्ति ऐसी किसी रिक्ति के प्रति किसी पद पर पदोन्नति या नि 36 (7) के अधीन विशेष नामनिर्देशन द्वारा नियुक्त किये गये हैं वे एक वर्ष की कालाव के परिवीक्षा पर होंगे:

परन्तु यह कि:-

(i) उनमें से ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर पदोन या नियम 36(7) के अधीन विशेष नाम निर्देशन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति से पूर्व ऐसे पद पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न रूप से कार्य कि हो जिस पर बाद में उनका नियमित चयनहो गया हो तो नियुक्ति प्राधिक ऐसे स्थानापन्न या अस्थायी सेवाकाल को परिवीक्षाकाल में समायोजित कि जाने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु ऐसा करने से किसी वरिष्ठ व्यक्ति अधिक्रमण नहीं होगा या संबंधित कोटे में उनके अधिमान क्रम में परिव नहीं होगा या भर्ती में आरक्षण प्रभावित नहीं होगा।

(ii) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह की वह कालावधि, जिसमें कोई व्य तत्समान या उच्चतर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल गिनी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षाकाल के दौरान परिवीक्षाधीन व्य को ऐसी विभागीय परीक्षा पास करनी होगी और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जो र रव समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण: उस व्यक्ति के मामले में जिसकी मृत्यु हो जाये या जो अधिवार्षि की अ प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त होने वाला हो, परिवीक्षा की कालावधि इतनी क कर दी जायेगी कि यह उसकी मृत्यु या राज्य सेवा से उसकी सेवा निवृत्ति तारीख से ठीक एक दिन पूर्व समाप्त हो जाए। स्थायीकरण के लिए नियम विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की दशा अधित्यक्त समझी जायेगी।

41. परिवीक्षाधीन व्यक्ति का प्रतिवर्तन:- नियम 40 में किसी बात के होते भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छह मास की कालावधि के भीतर स्थायीकरण का आ जारी नहीं किया जाता हैतो अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने भ के किसी भी तरीके से हुई अपनी नियमित भर्ती की तारीख केपश्चात् उसी नियुक्ति प्राधिक के अधीन उसी पद पर या किसी उच्चतर पद पर दो वर्ष या उन व्यक्तियों के मामले में

पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये हैं और जहां परिवीक्षा की कालावधि कम विहित की गई है ऐसी कम कालावधि का सेवाकाल पूरा कर लिया हो या वह ऐसा सेवाकाल पूरा कर लेता यदि वह प्रतिनियुक्त पर न जाता या प्रक्षिक्षणाधीन न होता, स्थायी रिक्ति होने पर नियमों के अधीन विहित कोटे के तथा अपनी वरिष्ठता के अध्यधीन रहते हुए स्थायी माने जाने का हकदार होगा बशर्ते कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति के स्थायीकरण के लिए नियमों में यथाविहित शर्तें पूरी हो जाये। यदि सेवा का कोई सदस्य, परिवीक्षा काल के दौरान अपने कार्य के बारे में संतोष प्रदान करने में असफल रहता है और सेवा में स्थायी नहीं है तो वह पद पर जिस पर उसका धारणधिकार है, प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

42. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति:- (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान किसी समय या उसकी समाप्ति पर ऐसा प्रतीत हो कि सेवा के किसी सदस्य ने उसको दिये गये अवसरों का प्रर्याप्त उपयोग नही किया है या वह सन्तोष प्रदान करने में विफल रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे उसकी नियुक्ति से ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रुप से धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि उस पद पर उसका धारणाधिकार हो और अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा:

परन्तु कोई व्यक्ति सेवा की उक्त कालावधि के पश्चात् के स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा, भशर्ते कि उक्त कालावधि के भीतर उसके कार्य के संतोषजनक संपादन के बारे में कोई प्रतिकूल कारण उसे उचित न कर दिये गये हों।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिरकरी उचित समझे तो किसी मामले में या मामले के किसी वर्ग में सेवा के किसी सदस्य का परिवीक्षाकाल ऐसी विनिर्दिष्टक कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा जो सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में दो वर्ष तक की या ऐसे पद पर पदोन्नति द्वारा नियम 36(7) के अधीन विशेष नाम निर्देशन द्वारा भर्ती किये गये व्यक्ति के मामले में एक वर्ष तक की हो सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तो अनुसीचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियो के व्यक्तियों के मामले में परिवीक्षाकाल को एक बार में एक वर्ष से अनधिक की कालावधि तक और कुल मिलाकर तीन वर्ष तक बढ़ा सकेगा।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षाकाल के दौरान निलम्बित कर दिया जाये या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाना अनुध्यात हो या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हो तो ठसका परिवीक्षाकाल ऐसी कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी उन परिस्थितियों में उचित समझे।

(4) परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर उपनियम (1) के प्रतिवर्तित या सेवोन्मुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिकर पाने का हकदा होगा ।

43. **स्थायीकरण :-** (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षाकाल की स पर अपनी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :-

(क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करली हो और ऐसी प्रशिक्षण सफलता पूरा कर लिया हो जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करली हो

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि उसकी सत्यानिष्ठा प्रश्न नहीं है और कि वह अन्यथा स्थायीकरण योग्य है ।

स्पष्टीकरण :- यदि दो वर्ष की कालावधि पूरी होने के पश्चात भी अप परिस्थितियों के कारण विभागीय परीक्षा न हो सकी हो तो अभ्यर्थी विभ परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उस तारीख से स्थायीकरण के लिए उप हो जायेगा जिस तारीख को उसने परिवीक्षाकाल पूरा किया हो ।

भाग-vi वतेन, भत्ते आदि

44. **वेतनमान:-** सेवा में के किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का मासिक वेत वह होगा जो नियम 46 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार समय-समय पर स्वीकृत किया जाये ।

45. **परिवीक्षाकाल के दौरान वेतन वृधियां :-** परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा के दौरान उसे अनुज्ञेय वेतनमान में राजस्थान सेवा नियम, 1951 के उपबन्धों के अ वेतन वृधियां प्राप्त करेगा ।

46. **वेतन, छुट्टी, भत्ते पेंशन आदि का विनियमन:-** इन नियमों में उपबन्धित के सिवाय सेवा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :-

(1) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा संशोधित,

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान युक्तियुक्तकरण) नियम, समय-समय पर यथासंशोधित;

(3) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, समय-समय पर यथा संशोधित;

(4) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1 समय-समय पर यथा संशोधित;

:

(5) राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम 1969, समय-समय पर यथा संशोधित;

(6) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 समय समय पर यथासंशोधित;

(7) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित नवीन वेतनमान) नियम, 1976,

(8) राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान (नियम, 1983, 1987, 1989, 1998, समय-समय पर यथा संशोधित;

(9) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय- समय पर यथा संशोधित;

(10) भारत के संविधान के अनुच्छेत 309 के परन्तुक के अधीन संसूचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये कोई अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्त विहित करते हों और तत्समय प्रवृत्त हों।

47. **शंकाओ का निराकरण :-** यदि इन नियमों के लागू किए जाने, निर्वाचन और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और इस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

48. **निरसन और व्यावृत्ति :-** राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1976, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं ;

परन्तु यह कि इस प्रकार अतिष्ठित नियमों और आदेशों के अधीन की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाही समझी जायेगी।

49. **नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति :-** अपवाद सापेक्ष मामलों में यदि सरकार के प्रशासनिक विभाग का समाधान हो जाए कि भर्ती के विषय में आयु या अनुभव की अपेक्षाओं के कारण किसी विशेष मामलें में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठोरता होती है या जहां सरकार की यह-राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कार्मिक विभाग की सहमति तथा जहां आवशयक हो, आयोग के परामर्श से आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबन्धों से, अभिमुक्त कर सकेगी भी उन्हें ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटने के लिए आवश्यक माना जाए, अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी या उन्हें शिथिल कर सकेगी। बशर्त कि ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से ही अन्तर्विष्ट उपबंधों की तुलना में कम हितकर न हो। शिथिलीकरण के ऐसे मामले प्रशासनिक विभाग द्वारा जहां आवश्यक हो, आयोग को निर्देशित किये जायेंगे।

अनुसूची-1

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अर्हताएं और अनुभव	अभयुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
				प्रवर्ग-I		
1.	जेलर (जिसमें क- निरीक्षक, हवालात और ख- वृत्तिक अनुदेशक सम्मिलित हैं)।	100% पदोन्नति द्वारा	-	उप-जेलर	स्तंभ संख्या 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
2.	उप-जेलर	100% पदोन्नति द्वारा	-	सहायक जेलर/मुख्य हैड वार्डर/मैट्रन हैड	स्तंभ संख्या 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
3.	सहायक जेलर	50% सीधी भर्ती द्वारा 50% पदोन्नति	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से स्नातक	हैड वार्डर/महिला हैड वार्डर	स्तंभ संख्या 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या यदि स्नातक हो तो 3 वर्ष का अनुभव।	-
4.	फैक्टरी पर्यवेक्षक	100% पदोन्नति द्वारा	-	सहायक फैक्टरी	स्तंभ संख्या 5 में उल्लिखित	

1	2	3	4	5	6	7
5.	अद्यापक ग्रेड-II/प्रधान-ध्यापक	100% पदोन्नति द्वारा	(I) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और बी.एड. या अध्यापन में समतुल्य डिग्री ।	सहायक अध्यांपक	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर या बी. एढ या समतुल्य डिग्री	विभाग में के सहायक अध्यापक में कोई उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वावरा या शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा ।
			(II) सरकार से अनुदान प्राप्त या सरकारी संस्था में अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव ।		(II) स्तंभ संख्या 5 में उर्लिखत पद पर 5 वर्ष का अनुभव ।	

प्रवर्ग–II

1	2	3	4	5	6	7
6.	मुख्य आर्मरर	100% सीधी भर्ती द्वारा	(I) जे. सी. ओ. से. न्यून या समतुल्य रेंक का भूतपूर्व सैनिक या पूर्व सी. पी. ओ.. कार्मिक । (II) रक्षा सेवाओं से प्रक्षिक्षित आर्मरर होना चाहिए ।	-	-	पद केन्द्रीय पुलिस संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा भी भरा जा सकेगा

1	2	3	4	5	6	7
7.	जेलर एम. टी.	100% सीधी भर्ती	(I) सैकेण्डरी या समतुल्य (II) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर यांत्रिक में डिप्लोमा; (III) भारी और हल्के वाहन चालन का अनुज्ञापत्र और इस क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अमुभव होना चाहिए ; (IV) भारी मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन की मरम्मत का विषद ज्ञान होना चाहिए ।	–	–	वाहन चालन और मरम्मत में दक्षता को जांच नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा निदेशित व्यावसायिक परीक्षण द्वारा की जायेगी ।
8.	सैन्य ड्रिल अनुदेशक	100% सीधी भर्ती द्वारा	जे. सी. ओ. रैंक से न्यून या समतुल्य भूतपुर्व सैनिक जिसके पास निम्नलिखित का विषद ज्ञान होना चाहिए; (क) आयुधों सहित या उनके बिना सैन्य ड्रिल और (ख) निः शस्त्र मुठभेड़ ।	–	–	पद केन्द्रीय पुलिस संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा भी भरा जा सकेगा ।

1	2	3	4	5	6	7
9.	सहायक अध्यापक	100% सीधी भर्ती द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक और बी. एड. (या समतुल्य)	-	-	पद शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा।
10.	मुख्य हैड/ वार्डर/ मैट्रन	100% पदोन्नति द्वारा	-	हैड वार्डर/ महिला हैड वार्डर	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से स्नातक और स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव या अन्यों के लिए स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	महिला कारागार में मैट्रन के रूप में केवल महिला हैड वार्डर ही पदोन्नत और पदस्थापित की जा सकेगी।
11.	हैड वार्डन/ महिला हैड वार्डन जिसमें सम्मिलित है:- (क) एच डब्ल्यू. एम. टी. चालक, (ख) एच. डब्ल्यू आर्मर,	100% पदोन्नति द्वारा	-	वार्डन/महिला वार्डन	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से स्नातक और	

1	2	3	4	5	6	7
	(ग) एवं डब्ल्यू पी. टी. आई, (घ) एच, डब्ल्यू यांत्रिक, और (ङ)एच. डब्ल्यू बैन्ड मास्टर				स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव; या 10 + 2 स्कीम के अधीन सीनियर सेकेण्डरी/पुरानी स्कीम के अधीन हायर सैकेण्डरी और स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 4 वर्ष का अनुभव या अन्यों के लिए स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव ।	
12.	वार्डन/महिला वार्डर	100% सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी या समतुल्य ।	–	–	–
	(क) वार्डर एम. टी. चालक		(i) सैकेण्डरी या समतुल्य (ii) चालकों के रूप में तीन वर्ष के अनुभव सहित भारी मोटर यानों को चालन का वैध अनुज्ञा पत्र; (iii) मोटर यानों को रोड साईड मरम्मत का ज्ञान और चालन में दक्षता ।	–	–	–
	(ख) वार्डर-आर्मरर		आर्मरर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव रखने वाला भूतपूर्व सैनिक या के. पु.सं. कार्मिक ।			

1	2	3	4	5	6	7
19	लुहार	100% सीधी भर्ती द्वारा	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सुसंगत ट्रेड में सिलाई प्रमाण पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र सहित सैकेण्ड्री या समतुल्य ।	–	–	–

अनुसूची- II

इन नियमों के नियम 24 के अधीन ली जाने वाली लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा निम्नलिखित पैटर्न पर संचालित की जायेगी:-

क्र.सं.	विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1.	सामान्य हिन्दी	3 घण्टे	200
2.	सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान (उत्तर अंग्रेजी और हिन्दी में दिये जाने हैं ।	3 घण्टे	200

प्रत्येक विषय का पाठ्य विवरण और उसका स्तर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग से परामर्श करके तैयार किया जायेगा । लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम उत्तीर्ण 36% और कुल मिलाकर 40% होंगे । लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए समय और स्थान समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा ।

[संख्या एफ. 2 (3) कार्मिक/क-2/98]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

सूरजमल केड़वाल,

उप शासन सचिव ।

1	2	3	4	5	6	7
14.	व्यावसायिक अध्यापक	100% पदोन्नति द्वारा	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी या समतुल्य । (ii) बुनाई/होजरी/सिलाई और कटाई/बढ़ाई गिरी/लुहारी/चर्म कार्य में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र/ राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र ।	रंग साज/चर्म अनुदेशक/दर्जी बढ़ई/लुहार	स्तंभ संख्या 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	यदि विभाग में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकेगी ।
15.	रंग साज	100% सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कपड़ो की रंगाई में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा सहित सेकेण्डरी या समतुल्य ।	–	–	–
16.	चर्म अनुदेशक	100% सीधी भर्ती द्वारा	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से चर्म कार्य में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र सहित सैकेण्डरी या समतुल्य ।	–	–	–
17.	दर्जी	100% सीधी भर्ती द्वारा	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सिलाई और कटाई में राष्ट्रीय ट्रेड सिलाई प्रमाणपत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र सहित सैकेण्डरी या समतुल्य ।	–	–	–
18.	बढ़ाई	100% सीधी भर्ती द्वारा	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से बढ़ईगीरी में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र सहित सैकेण्डरी या समतुल्य ।	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
	(छ) वार्डर-इलेक्ट्रीशन (बिजली वाला)	-	(i) सैकेण्डरी या समतुल्य; (ii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्ययावसायिक प्रशिक्षण परिषद से विद्युत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र; और (iii) विद्युत् लाईन और विद्युत् उपकरण स्थापित करने और उनकी मरम्मत का ज्ञान और अनुभव ।			
	(ज) वार्डर-नाई	-	नाई/हेयर ड्रेसर के रूप में 2 वर्ष का कार्यानुभव ।			
	(झं) वार्डर-धोबी	-	धोबी के रूप में 2 वर्ष का कार्यानुभव ।			
	(ञ) वार्डर रसोईया		किसी मान्यता/प्राप्त बोर्ड से खाना बनाने/खाद्य और पोषण में प्रमाणपत्र सहित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से (सैकेण्डरी या समतुल्य) या गृह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेण्डरी या समतुल्य			
13.	सहायक फैक्टरी पर्यवेक्षक	50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोनति द्वारा	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी या समतुल्य; (ii) बनाई/होजरी/सिलाई और कटाई/बढ़ई गिरी/ लुहारी/चर्म कार्य में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षु प्रमाणपत्र; और	व्यावसायिक अध्यापक	स्तंभ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव	रिक्ति, रिक्त पद के ट्रेड के अनुसार भरी, जानी है । यदि विभाग में उपयुक्त व्यावसायिक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो [illegible] सी[illegible] भरी जा सकेगी ।

(ग) वार्डर-शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक	मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक प्रशिक्षण के प्रमाण-पत्र सहित सैकेण्डरी या समतुल्य या कम से कम 3 वर्ष का शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक का अनुभव रखने वाला भूतपूर्व सैनिक या के. पु. से. कार्मिक
(घ) वार्डर-यांत्रिक	(I) सैकेण्डरी या समतुल्य; (II) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से यांत्रिक ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र; और (III) सामान्य विद्युत् और यांत्रिक उपकरणों के प्रचालन और उनकी मरम्मत का ज्ञान और अनुभव ।
(ङ) वार्डर-बैंड मास्टर	बैंड मास्टर के रूप में पांच वर्ष का कार्यानुभव ।
(च) वार्डर	(i) सेकेण्डरी या समतुल्य; (ii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से यांत्रिक ट्रेड प्रमाण-पत्र/ राज्य ट्रेड प्रमाण-पत्र; और (iii) साधारण विद्युत् और यांत्रिक उपकरणों के प्रचालन और उनकी मरम्मत का ज्ञान और अनुभव ।

Government of Rajasthan

Department of Personnel

(A-II)

No. F.7(2)DOP/A-II/84-Pt

Jaipur, Dated :25 June, 2004

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following Rules to amend the various State, Subordinate, Ministerial and Class IV Service rules, in force in the Rajasthan, namely :-

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Rajasthan various Service (Amendment) Rules, 2004.

   (2) They shall be deemed to have come into force with effect from 24.5.2004.

2. General amendment in the Various Service Rules :-In the various State, Subordinate, Ministerial and Class IV Service Rules framed under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in force in Rajasthan, the upper age limit wherever prescribed in the rules and/or schedules regarding age for direct recruitment for all categories of posts in Government Services shall be extended by two years. Those who have crossed the upper age limit after 1.1.99 shall be eligible further for recruitment in Government Service for two years i.e. from 24.5.2004 to 23.5.2006.

By order and in the name of the Governor

शान्ति वर्मा

11/04

(Shanti Kumar Verma)

Dy. Secretary to the Government

Dy SI-II

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प. 2(3)कार्मिक/क-2/98 जयपुर, दिनांकः 21.7.11

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः- अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न **राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 में किये गये संशोधन की अधिसूचना** (हिन्दी अनुवाद सहित) दिनांक 21.7.11 को राजस्थान के असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. दिनांक 21.7.11 में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत पत्र जारी करने की व्यवस्था करें ।

भवदीय,

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 21.7.11 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है । कृपया अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।
2. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को नियमों से संबंधित स्थायी मंत्रिमण्डलीय समिति की आज्ञा संख्या **02/2011** दि0 23.3.11 एवं ज्ञापन सं. प. 2(21)गृह/ग्रुप-12/कारा/2009 पार्ट I दिनांक 19.08.10 के संदर्भ में।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशेषाधिकारी, गृह (कारागार) विभाग।
4. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार,, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सहायक सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-7) विभाग को 9 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
6. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार (प्रारूपण)।
7. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भीः-

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ ।
2- सचिव, राजस्थान विधान सभा (अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) जयपुर को 20 प्रतियों के साथ ।
3- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
4- सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
5- सम्पादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ ।
6- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
7- रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1- प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर ।
3- उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर ।
4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग ।
5- एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों में ।
7- गार्ड फाईल ।

शासन उप सचिव

My com/D/Ganesh/Forwrding not.-20

36/2011

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNAL
(A.Gr.-II)

No : F.2(3)DOP/A-II/98 Dated : 21·7·2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Jails Subordinate Service (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of rule 24.- The existing rule 24 of the Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998, herein after referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"**24. Admission to the examination:-** (1) The Commission/Appointing Authority or the Officer authorized by them/it shall scrutinize the application received by them/it and all candidates qualified for appointment under these rules shall be permitted to appear for the competitive examination.

(2) The Commission/Appointing Authority shall issue a certificate of admission to candidates found eligible after scrutiny.

(3) The decision of the Commission/Appointing Authority as to eligibility of admission to the written examination, physical efficiency test, personality and viva-voce if any, shall be final."

3. Deletion of rule 25.- The existing rule 25 of the said rules shall be deleted.

4. Substitution of rule 26.- The existing rule 26 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**26. Authority for conducting competitive examination.-** The competitive examination for direct recruitment to a post in category- I of Schedule-I shall be conducted by the Commission in accordance with the scheme of examination laid down in Schedule-II and the competitive examination for posts in category-II of Schedule-I shall carry 400 marks and

36/2011

shall be conducted by the Appointing Authority who shall also prescribe a syllabus for this purpose."

5. Amendment of rule 28.- In rule 28 of the said rules,-

(i) the existing sub-rule (2) shall be substituted by the following, namely:-

"(2) In respect of posts in category I of Schedule-I, candidates who are declared successful under rule 27 shall be required to appear before a physical Screening Committee consisting of the Appointing Authority or his nominee not below the rank of Superintendent Gr.I as Chairman, one Superintendent Gr.II and one Inspector of Police or Company Commander of the Rajasthan Armed Constabulary nominated by the Director General of Police in consultation with the Appointing Authority as Members for physical efficiency test. The physical efficiency test shall carry 100 marks and the candidate who secures 50% marks therein shall be deemed to have qualified the physical efficiency test. The Physical Screening Committee shall forward the list of candidates who have qualified the physical efficiency test, to the Commission through the Appointing Authority."

(ii) the existing sub-rule (4) shall be substituted by the following, namely:-

"(4) In respect of posts in category II of Schedule-i, subject to having been declared successful under rule 27, candidates,-

(i) in case of Warders/Lady Warders, shall be permitted to appear before the Physical Screening Committee for qualifying physical efficiency test but the number of candidates so permitted shall be restricted to ten times the number of vacancies (category wise) on the basis of marks obtained by the candidate in the written examination. The physical efficiency test shall carry 100 marks and the candidate who secure 50% marks therein shall be deemed to have qualified the physical efficiency test which shall be conducted by a Physical Screening Committee consisting of the Appointing Authority or his nominee not below the rank of Superintendent Gr.I as Chairman, one Superintendent Gr.II and one Inspector of Police or Company Commander of the Rajasthan Armed Constabulary nominated by the Director General of Police in consultation with the Appointing Authority as Members.

(ii) in case of other posts for which direct recruitment is prescribed, shall be permitted to appear before the Board for interview after written examination."

6. Amendment of rule29.- The existing rule 29 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"29. Personality and Viva-voce test.- (1) Other than for the post of Warder/Lady Warder, candidates who have been declared successful in the written test under rule 27 and qualify in the physical efficiency test under sub-rule (2) of rule 28, or have been declared successful in the written test under rule 27 and physical efficiency test has not been prescribed under these rules, shall be eligible for aptitude test and interview:

Provided that the number of candidates called for aptitude test and interview shall be restricted to three times the number of vacancies (Category wise) on the basis of the aggregate marks obtained by the candidates in the written examination.

(2) The aptitude test and interview of the candidates shall carry 50 marks.

(3) The Commission/Board shall summon the candidates for aptitude test and interview.

(4) The Commission/Board shall award marks to each candidate interviewed by them, having regard to their character, personality, address, tact, aptitude for the post, integrity, alertness, judgment, leadership, physique and knowledge of Rajasthani Culture. The marks so awarded, shall be added to the marks obtained in the written examination by each such candidate. The marks shall be awarded for higher qualification/technical qualification /national games /international games participation."

7. Substitution of rule 30.- The existing rule 30 of the said rule shall be substituted by the following, namely:-

"30. Recommendations of the Commission/Board.- The Commission/Board shall prepare list of the candidates, whom they consider suitable for appointment to the post concerned, arranged in order of merit, and forward the same to the Appointing Authority. The Commission/Board shall not recommend the candidates who have secured less than 36% marks in interview, if prescribed under these rules, and 45% marks in aggregate:

Provided that the Commission/Board may recommend the candidates belonging to the Backward Classes, Special Backward Classes, Scheduled Castes

and Scheduled Tribes who have failed to obtain the minimum marks in viva-voce, if prescribed under these rules, and in the aggregate as prescribed above but are found to be suitable by the Commission/Board for appointment to the service with due regard to maintenance of efficiency in administration, if such candidates secure 30% marks in the interview, if prescribed under these rules, and 40% marks in the aggregate.

Provided further that the Commission/Board may, to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates on the reserve list. The Commission/Board may, on requisition, recommend names of such candidates in order of merit to the Appointing Authority within six months from the date on which the original list is forwarded by the Commission/Board to the Appointing Authority."

By order and in the name of Governor

(Nalini Kathotia)

Deputy Secretary to the Government

36/2011

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ.2 (3)डीओपी/ए–II/98 जयपुर, दिनांक : 21.7.2011

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 24 का प्रतिस्थापन.– राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"24. परीक्षा में प्रवेश .– (1) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी या उनके/उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उनके/उसके द्वारा प्राप्त आवेदन की संवीक्षा करेंगे/करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित समस्त अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रमाणपत्र जारी करेगा जो संवीक्षा के पश्चात् पात्र पाये जायें।

(3) लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और मौखिक परीक्षा, यदि कोई हो, में प्रवेश की पात्रता के बारे में आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।"

3. नियम 25 का हटाया जाना.– उक्त नियमों का विद्यमान नियम 25 हटाया जायेगा।

36/2011

4. **नियम 26 का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"26. **प्रतियोगी परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी.**– अनुसूची–I के प्रवर्ग–I में के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा अनुसूची–II में अधिकथित परीक्षा की स्कीम के अनुसार संचालित की जायेगी और अनुसूची–I के प्रवर्ग–II में के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा 400 अंकों की होगी और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जायेगी जो इस प्रयोजन के लिए पाठ्य विवरण भी विहित करेगा।"

5. **नियम 28 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 28 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(2) अनुसूची–I के प्रवर्ग–I में के पदों के संबंध में, उन अभ्यर्थियों से, जो नियम 27 के अधीन सफल घोषित किये गये हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए एक शारीरिक स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें, नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नामनिर्देशिती, जो अधीक्षक ग्रेड–I की रैंक से नीचे का नहीं हो, अध्यक्ष के रूप में, एक अधीक्षक ग्रेड–II और एक पुलिस निरीक्षक या नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट राजस्थान सशस्त्र पुलिस (कान्सटेबुलरी) का कम्पनी कमाण्डर, सदस्य के रूप में होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण 100 अंकों का होगा और ऐसे अभ्यर्थी, जो उसमें 50% अंक प्राप्त कर लेते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हता प्राप्त समझे जायेंगे। शारीरिक स्क्रीनिंग समिति, नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से उन अभ्यर्थियों की सूची आयोग को अग्रेषित करेगी जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हित हो गये हैं।"

(ii) विद्यमान उप–नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(4) अनुसूची–I के प्रवर्ग–II में के पदों के संबंध में, नियम 27 के अधीन सफल घोषित किये जाने के अध्यधीन, अभ्यर्थियों को,–

(i) वार्डरों/महिला वार्डरों के मामले में, शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हित करने के लिए शारीरिक स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा किन्तु इस प्रकार अनुज्ञात अभ्यर्थियों की संख्या, अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या (प्रवर्गानुसार) दस गुने तक निर्बंधित की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण 100 अंकों का होगा और उस अभ्यर्थी के बारे में जो उसमें 50% अंक प्राप्त करता है यह समझा जायेगा कि उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर ली है जो शारीरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा संचालित किया जायेगा जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नामनिर्देशिति जो अधीक्षक ग्रेड–I की रैंक से नीचे का नहीं हो, अध्यक्ष के रूप में, एक अधीक्षक ग्रेड–II और एक पुलिस निरीक्षक या नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट राजस्थान सशस्त्र पुलिस (कान्सटेबुलरी) का कम्पनी कमाण्डर, सदस्य के रूप में होंगे।

(ii) अन्य पदों के मामलें में, जिनके लिए सीधी भर्ती विहित है, लिखित परीक्षा के पश्चात् साक्षात्कार के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।"

6. नियम 29 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**29. व्यक्तित्व और मौखिक परीक्षा.**– (1) वार्डरों/महिला वार्डरों के पद से भिन्न पद के लिए, वे अभ्यर्थी, जो नियम 27 के अधीन लिखित परीक्षा में सफल घोषित किये गये हों और नियम 28 के उप–नियम (2) या उप–नियम (4) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हित हों, या नियम 27 के अधीन

लिखित परीक्षा में सफल घोषित किये गये हों और इन नियमों के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षण विहित नहीं किया गया है, प्रवीणता परीक्षण और साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे:

परन्तु प्रवीणता परीक्षण और साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या (प्रवर्गानुसार) के तीन गुने तक निर्बंधित की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों का प्रवीणता परीक्षण और साक्षात्कार 50 अंकों का होगा।

(3) आयोग/बोर्ड अभ्यर्थियों को प्रवीणता परीक्षण और साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।

(4) आयोग/बोर्ड उनके द्वारा साक्षात्कार किये गये प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके चरित्र, व्यक्तित्व, संबोधन, चातुर्य, पद के लिए प्रवीणता, सत्यनिष्ठा, सतर्कता, निर्णय क्षमता, नेतृत्व, शारीरिक गठन और राजस्थान संस्कृति के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अंक प्रदान करेंगे। इस प्रकार दिये गये अंकों को प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जायेगा। उच्चतर अर्हता/तकनीकी अर्हता/राष्ट्रीय खेलों/अन्तरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।

7. नियम 30 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"30. आयोग/बोर्ड की सिफारिशें.– आयोग/बोर्ड ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे योग्यताक्रम में एक सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। आयोग/बोर्ड ऐसे अभ्यर्थियों की सिफारिश नहीं करेगा जिन्होंने साक्षात्कार, यदि इन नियमों के अधीन विहित हो, में 36% और कुल मिलाकर 45% से कम अंक प्राप्त किये हों:

परन्तु यह कि आयोग/बोर्ड पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों की सिफारिश कर सकेगा जो ऊपर यथाविहित, मौखिक परीक्षा में, यदि इन नियमों के अधीन विहित हो, और कुल मिलाकर, न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहे हैं किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग/बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाये गये हों बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार, यदि इन नियमों के अधीन विहित हो, में 30% अंक और कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त किये हों :

परन्तु यह और कि आयोग/बोर्ड विज्ञापित रिक्तियों के 50% की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग/बोर्ड, अध्यपेक्षा किये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी को, उस तारीख से छह मास के भीतर जिसको आयोग/बोर्ड द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को मूल सूची अग्रेषित की गयी है, योग्यता क्रम में ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश करेगा।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

36/2011

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A.GR.-II)

No. F.2(3) DOP/A-II/98 Dated : 19 DEC 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998, namely:-

1. **Short title and commencement** .- (1) These rules may be called the Rajasthan Jails Subordinate Service (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 2** .- In rule 2 of the Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998,-

(i) the existing clause (a) shall be substituted by the following, namely :-

"(a) "Appointing Authority" means,

(i) for the posts of Jailor/Deputy Jailor/Factory Supervisor/Assistant Factory Supervisor/Teacher Gr.II/Head Master/Chief Armourer/Military Drill Instructor/ Assistant Teacher/Vocational Teacher, the Inspector General of Prisons.

(ii) for the posts of Assistant Jailor Chief Head Warder/Head Warder/ Warder/ Dyer/Tailor/Carpenter/Blacksmith, the Deputy Inspector General of Prisons concerned :

Provided that all authorities superior to the Appointing Authority, in the Jail Establishment, shall also be deemed to be the Appointing Authority."

(ii) after the existing clause (g) and before the existing clause (h) following new clause (gg) shall be inserted, namely :-

" (gg) "Deputy Inspector General of prisons" means the Deputy Inspector General of Prisons, Rajasthan."

By order and in the name of the Governor

(Sunil Sharma)
Joint Secretary to the Government

43/2016

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ. 2(3)डीओपी/ए–II/98 जयपुर,दिनांकः 19 DEC 2016

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन .–** राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम 2 में, –

(i) विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है,–

(i) जेलर/उप–जेलर/फैक्टरी पर्यवेक्षक/सहायक फैक्टरी पर्यवेक्षक/अध्यापक ग्रेड–II/ प्रधानाध्यापक/मुख्य आर्मरर/सैन्य ड्रिल अनुदेशक/सहायक अध्यापक/व्यावसायिक अध्यापक के पदों के लिए महानिरीक्षक, कारागार ; और

(ii) सहायक जेलर/मुख्य हैड वार्डर/हैड वार्डर/वार्डर/रंगसाज/दर्जी/बढ़ई/लुहार के पदों के लिए संबंधित उप महानिरीक्षक, कारागार :

परन्तु कारागार स्थापन में नियुक्ति प्राधिकारी से वरिष्ठ समस्त प्राधिकारियों को भी नियुक्ति प्राधिकारी समझा जायेगा।"

(ii) विद्यमान खण्ड (छ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ज) के पूर्व नया खण्ड (छछ) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(छछ) "उप महानिरीक्षक, कारागार" से उप महानिरीक्षक, कारागार, राजस्थान अभिप्रेत है।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

43/2016

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(Group A -II)

No. F 2 (3) DOP/A-II/98 Dated: 20·3·2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Jails Subordinate Service (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 18.- In sub-rule (2) of rule 18 of the Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) for the existing expression "for the posts of Assistant Jailor and Warder", the expression "for the posts of Deputy Jailor and Warder" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "For Assistant Jailors and Warders", occurring in clause (a) of proviso (iv) to sub-rule (2), the expression "For Deputy Jailors and Warders" shall be substituted.

3. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-1 appended to the said rules,-

(i) the existing serial number 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"2.	Deputy Jailor	50% by direct recruitment and 50% by promotion	Graduate from a University established by law in India	Head Warder /Lady Head Warder	5 years experience on the post mentioned in Column 5, or if graduate 3 years' experience on the post mentioned in Column 5.	The existing post of Chief Head Warder and Assistant Jailor shall be merged in the post of Deputy Jailor.

"

(ii) the existing serial number 3 and entries thereto shall be deleted; and

(iii) the existing serial number 10 and entries thereto shall be deleted.

By order and in the name of the Governor,

(Sunil Sharma)
Joint Secretary to the Government

13/2017

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ. 2(3)डीओपी/ए–II/98 जयपुर,दिनांकः 20·3·2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 18 का संशोधन .–** राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 18 के उप–नियम (2) में, –

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''सहायक जेलर और वार्डर के पदों के लिए'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''उप–जेलर और वार्डर के पदों के लिए'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप–नियम (2) के परन्तुक (iv) के खण्ड (क) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति ''सहायक जेलरों और वार्डरों के लिए'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''उप–जेलरों और वार्डरों के लिए'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **अनुसूची–I का संशोधन.–** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–I में , –

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

2	उप-जेलर	50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक	हैड वार्डर/ महिला हैड वार्डर	स्तम्भ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव, या यदि स्नातक हो तो स्तम्भ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	मुख्य हैड वार्डर और सहायक जेलर के विद्यमान पद का उप जेलर के पद में विलय किया जायेगा।

(ii) विद्यमान कम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी; और

(iii) विद्यमान कम संख्यांक 10 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

13/2017